अपूर्णनीय क्षति :- चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित हुये है साथ ही पूर्ण आशंका है कि अप्रार्थीगण को यदि अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द नहीं किया जाता तो अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण, बैचान किया जा सकता है तथा ा होनें पर वाद में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी एवं विलम्ब होगा। जिससे प्रत्यक्ष र्थी प्रभावित होगा। अतः यह स्पष्ट है कि यदि प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जाती है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त ाराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद रहन, बैचान, हस्तान्तरण न करनें हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से निरुद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी तहसील जैतारण के ग्राम डेगरना के खाता संख्या 152 खसरा संख्या 549/2, 612/1, 687/2, 744/1, 745, 758 कुल खसरा 6 कुल रकबा 4.2412 हैक्टर का रहन बैचान व हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करें तथा वर्तमान भू-अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला ब्यावर

निर्णय आज दिनांक 15/01/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला ब्यावर